दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन बाबत

डिक्री

दिनांक :– 10/02/2026

वादीगण की ओर से श्री अशोक गुडेसर अधिवक्ता तथा श्री पवन ढेनवाल, श्री विनोद कटारीया प्रतिवादी सं. 2 ता 4,6,10,11, 25 ता 27, 29, 33,34,40,43,45,48,49,51, ता 53, 55, 57 की ओर से हाजिर व श्री अशोक चिराणिया तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा व इकबाल दावा एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है:–

1. **पूर्णराम पुत्र सुरजाराम:–** जोधाराम पुत्र ज्ञानाराम के नाम दर्ज चक 1 बीएलडब्लयू के खाता संख्या 44/64 की कुल 4.187 हैक्टेयर में जोधाराम पुत्र ज्ञानाराम हिस्सा 1/4 में से वादी पूर्णराम को 0.3488 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चक 7 एचडीपी के खाता संख्या 28/31 कुल 3.795 हेक्टेयर में वादी पूर्णराम को 1.265 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रकमराज अलग कायम की जावे। जोधाराम का नाम कलमजन किया जाता है।

2. **रतू पुत्र ज्ञानाराम :–** शेष रकबा में जोधा राम के नाम दर्ज मुताबिक सजरा खानदान द्वितीय श्रेणी के वारीसान में रतू पुत्र ज्ञाना राम को चक 1 बीएलडब्लयू के खाता संख्या 44/64 की कुल 4.187 हैक्टेयर में से .5233 है. एवं चक 7 एचडीपी के खाता संख्या 28/31 कुल 3.795 हेक्टेयर में से 1.8975 है. रकबा रतू पुत्र ज्ञानाराम हक्क व हिस्सा का अधिकारी है चुंकि रतु की मृत्यु हो चुकि है इस लिए यह रकबा रतू के वारिसान जांच कर विरासतन बहिब दर्ज करने के आदेश पारति किये जाते है। जोधाराम का नाम कलमजन किया जाता है।

3. **आदूराम पुत्र मानाराम :–** शेष रकबा जोधा राम के नाम दर्ज मुताबिक सजरा खानदान द्वितीय श्रेणी के वारीसान में आदूराम पुत्र मानाराम चक 1 बीएलडब्लयू के खाता संख्या 44/64 की कुल 4.187 हैक्टेयर में से .1745 है. एवं चक 7 एचडीपी के खाता संख्या 28/31 कुल 3.795 हेक्टेयर में से .6325 है. रकबा का हक्क व हिस्सा का अधिकारी है चुंकि आदूराम पुत्र मानाराम की मृत्यु हो चुकि है इसलिए यह रकबा आदूराम पुत्र मानाराम के वारिसान जांच

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.05.01 13:18:43 IST
Reason: SelfAttested

कर विरासतन बहिब दर्ज करने के आदेश पारति किये जाते है। जोधाराम का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 10/2/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.05.01 13:18:43 IST
Reason: SelfAttested